

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 09.12.23

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22378/श्री शुभम कुमार, भा0प्र0से0 (2021)
(दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के
पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल
पदाधिकारी, बाढ़, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22379/श्री प्रवीण कुमार, भा0प्र0से0 (2021)
(दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के
पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल
पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22380/श्री अनिल बसाक, भा0प्र0से0 (2021)
(दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के
पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल
पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22381/सुश्री निशा, भा0प्र0से0 (2021)
(दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के
पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल
पदाधिकारी, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22382/सुश्री शैलजा पाण्डेय, भा0प्र0से0
(2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण
चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश
तक अनुमण्डल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22383/सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, भा0प्र0से0
(2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण
चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश
तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रक्सौल, पश्चिम चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता
है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22384/श्रीमती अपूर्वा त्रिपाठी, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

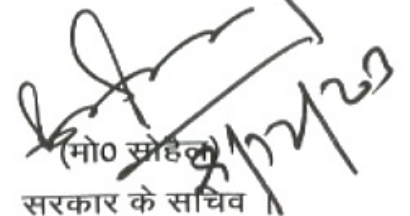
संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22385/श्री सूर्य प्रताप सिंह, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, डेहरी ऑन सोन, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22386/सुश्री सारा अशरफ, भा0प्र0से0(2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22387/श्री आकाश चौधरी, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2,1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां एवं संबंधित जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियां प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मो0 सोहेल)
सरकार के सचिव

22387
ज्ञापांक:-1/सी0-1006/2022-सा0प्र0-...../पटना-15, दिनांक: 09.12.23

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली / कैरियर मैनेजमेंट

डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06, 12 एवं 19 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रासंगिक संदर्भ में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की सहमति संसूचित है।


सरकार के सचिव